न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 313/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. दशरथ सिंह 2. रघुवीर सिंह 3. रामेश्वर सिंह पुत्र शैतान सिंह (जाति राजपूत, निवासी धनारी खुर्द तह0 बावडी, जिला जोधपुर)		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बावड़ी आदेश कमांक 998 दिनांक 27.6.18

उपस्थिति –
1. श्री उम्मेदसिंह बावरला व श्री रमेश भादू वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बावडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 के द्वारा तहसीलदार बावडी के पत्र कमांक 478 दिनांक 25.6.18 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम धनारीखुर्द के खसरा नं0 25, 22, 20, 26, 30, 31, 35/3, 33, 37, 55, 122, 123, 125 व 126 की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही 7.13 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम धनारी खुर्द में अपीलांट्स के सह–खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 11 व 11/2 की भूमि स्थित है, जिसमें कोई रास्ता चालू नही है। तहसीलदार बावडी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के बिन्दु सं0 2 में अपीलांट का खसरान उल्लेखित नही किया है, किंतु प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शें में अपीलांट के खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नं0 11/2 में रास्ता दर्शाया हुआ है। जबकि मौके पर उक्त रास्ता ख0नं0 11/8 से चलकर खसरा नं0 67 की खातेदारी भूमि में से होकर कटाणी रास्ता से मिलान करता हैं। इसके विपरित अपीलाधीन आदेश में स्पष्टतः यह उल्लेखित है कि **"तहसीलदार बावडी को ग्राम धनारी खुर्द के संलग्न परिशिष्ट तथा नजरी नक्शा में वर्णित खसरान की प्रस्तावित भूमि को गै0मु0 रास्ता परिवर्तित (घोषित) किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"** अपीलाधीन आदेश की आड में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलंट्स की खातेदारी भूमि में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने को आमदा है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका अभिलेख न्याय एवं कानून के विपरित तथा जल्दबाजी में मनमाना पारित किया गया हैं। जिसमें अपीलांट् को पक्षकार नही बनाया गया व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरान में गै0मु0 रास्ता दर्ज नही करने का संशोधित आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बावड़ी के प्रस्ताव पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये की गई है। जिसमें संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 998 दिनांक 27.06.2018 को तहसीलदार बावडी के प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शें में वर्णित अपीलांट के ख0नं0 11 व 11/2 की रकबा भूमि तक निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.05.2

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर